न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 121/2018

अनवान :

1. रमेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. पालसिंह उर्फ पालाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सावित्री पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. जगदीश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
6. विजेन्द्र पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

निर्णय **दिनांक : 8·8·18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 13 एएमएस के खाता सं0 54/56 के मु0नं0 1 के किला नं0 21 ता 25, मु0नं0 10 के किला नं0 1 ता 15 की कुल 5.060 है0 नहरी खातेदरी कृषि भूमि प्रतिवादी प्रतापसिंह वल्द हेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा चक 15 एएमएस के मु0नं0 5 के किला नं0 23 ता 25, मु0नं0 11 किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 12 किला नं0 1 ता 25 कुल 9.108 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से 80 हिस्सा व प्रतिवादी पालसिंह उर्फ पालाराम के नाम 100 हिस्सा दर्ज है तथा शेष 440 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण प्रतापसिंह व पालसिंह उर्फ पालाराम के भाई रामस्वरूप के नाम से दर्ज है।

वादी का दादा हेतराम अपने मामा पतु उर्फ पतराम वल्द रूपा के गोद आया हुआ था जिसके आधार पर पतु उर्फ पतराम वल्द रूपा वादी का परदादा था। पतु उर्फ पतराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि अपने दतक पुत्र हेतराम एवं अपने पौत्र प्रतापसिह, पालसिंह उर्फ पालाराम व भूपसिह को जरिये बंटवारानामा में दे दी थी। इस प्रकार वादभूमि जो चक 13 एएमएस के खाता सं0 54/56 में स्थित 5.060 है0 दर्ज है, वह प्रतिवादी को अपने दादा पतु उर्फ पतराम वल्द रूपा से जरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा मिली हुई है। प्रतिवादी प्रतापसिंह, पालसिंह उर्फ पालाराम के पिता का नाम हेतराम था तथा पतु उर्फ पतराम उनके दादा का नाम था परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के चक 15 एएमएस में प्रतिवादी प्रतापसिंह व पालसिंह उर्फ पालाराम की वल्दीयत में उनके पिता हेतराम की बजाय दादा का नाम पतु दर्ज चला आ रहा है। पतु उर्फ पतराम कुंवारा था तथा कुंवारा ही फौत हुआ था। जिसके चलते पतु उर्फ पतराम ने अपने भान्जे हेतराम को गोद पुत्र लिया था। इस

...कार प्रतिवादी प्रतापसिंह, पालसिंह उर्फ पालाराम, पतु उर्फ पतराम के पुत्र ना होकर पोत्र है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रमेश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि/फोटो प्रति जमाबन्दी चक 13 एएमएस खाता सं0 54/56 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि/फोटो प्रति जमाबन्दी चक 15 एएमएस खाता सं0 102/98 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 13 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 15 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, चित्रप्रति बंटवारानामा प्रदर्श 5, चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर चक 15एएमएस प्रदर्श 6, 7, 8, 9, सदस्य/वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 10, 11 प्रदर्शित करवाये एवं असल प्रति बैयनामा पेश की।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया एवं पेरोकार राज ने अपनी बहस में जबाब दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में मद सं0 2 हेतराम को पतराम का दतक पुत्र व प्रतापसिंह को हेतराम का पुत्र बताया है, जबकि प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 में प्रतापसिंह को पतराम का पुत्र बताया है व वादभूमि का जो बंटवारा दर्शाया गया है उसमें प्रतापसिंह वल्द पतराम को बंटवारा में 13एएमएस व 15 एएमएस की भूमि दी गई है तथा प्रतापसिंह के भाई पालसिंह व ...पसिंह की वल्दियत भी पतराम लिखी हुई है। हेतराम पतराम का दतक पुत्र था ऐसा कोई ...स्तावेज पत्रावली पर नहीं है। चालू जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2 में वादभूमि प्रतापसिंह वल्द ...तराम के नाम दर्ज है। पुरानी जमाबन्दी में प्रदर्श 3 व 4 में वादभूमि पतू वल्द खपा के नाम ...र्ज है व प्रदर्श 7 में वादभूमि बंटवारा में प्रतापसिंह वल्द पतू के नाम है। इन सभी साक्ष्यों ... सुसंगत करने वाला या जोड़ने वाला कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं ... प्रस्तुत वाद व वाद के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य एक दूसरे के विरोधाभासी है। विरोधाभासी ...य वाद का समर्थन करने की बजाय खण्डन करता है। वादी को अपना वाद अपने पैरो ... खड़ा होकर साबित करना होता है। हस्तगत वाद में वादी अपना वाद साबित करने में ...फल रहा है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का ...त नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन ... पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.8.18.......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ...ाय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 121/2018

अनवान :

1. रमेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. पालसिंह उर्फ पालाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सावित्री पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. जगदीश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
6. विजेन्द्र पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील ादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी न्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित नहीं होने के कारण ारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.8.18.......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की द्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़